17.05.2023:—पत्रावली प्रार्थीया अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र पर पेशी मे लिया गया। प्रार्थीया अधिवक्ता उपस्थित। मुल वादपत्र मे खारिज हो चुका है तो प्रार्थना—पत्र मे कोई कार्यवाही शेष नही रह जाती। मूल वादपत्र खारिज होने के कारण प्रार्थीया उक्त प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. वर्तमान स्तर पर ही खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Avi Garg
Date: 2023.08.02 12:23:04 IST
Reason: SelfAttested
Scanned with CamScanner